

26/3/24

पलावली बादीगण द्वारा उपनिना-पत्र ललबी का पेरा  
करने पर तलब की गई। प्रकरणमें अधि. श्री विनायक राजे  
जोशी द्वारा बादीगण की तरफ से व.पत्र व उपनिना-पत्र  
वाप बिना किये जाते बाबत पेरा किया गया। शा.प्रा. रहे।  
प्रकरण में बादीगण द्वारा प्रतिबादीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही  
नहीं चाहे प्रकरण को वही स्तर पर हीप किये जाने  
का निवेदन किया। बादीगण की पहचान अपने अधि. द्वारा

नातकोवरी

ने. मा. ली. ग.

1.0. 24  




## फर्द-अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीण्डर  
जिला-उदयपुर (राज.)

प्राथी.....नाथमणी.....विपक्षी.....नारद  
किस्म मुकदमा.....88, 188 R. 1-1-1 पत्रावली संख्या.....115/21 सन.....

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर वादी / प्रतिवादी / गवाह / आदेश पालनार्थ आदेशांक व दिनांक
	<p>की गई। अतः वादीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहे से कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः वादीगण का वाप रसीद स्वरूप पर शेष किया जाता है। पत्रावली क्र. सं. 115/21 नंबर से भंग हो।</p> <p style="text-align: center;">निष्पत्ति स्वरूप जिला न्यायालय सु-उपायगमा।</p>	